



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या-11/2022

विफनी कुंवर

बनाम्

सविता देवी

—: आदेश :—

08/10/22

प्रस्तुत वाद विफनी कुंवर पति- स्व० यमुना राम सा०- बन्दुआ, पो०- पल्हेया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता सविता देवी पति- मनोज राम, सा०- बन्दुआ, पो०- पल्हेया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार के साथ मौजा- बन्दुआ, खाता संख्या-201, प्लॉट संख्या- 2295 रकबा- 0.11 ए० एवं प्लॉट संख्या- 2296 रकबा-  $0.06\frac{1}{2}$  ए० कुल रकबा- $0.17\frac{1}{2}$  ए० भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु आवेदन में प्रस्तावित भूमि का अंचल अधिकारी, लातेहार से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

आवेदक विफनी कुंवर के द्वारा दिनांक 30.09.2022 को वाद को वापस लेने हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। विपक्षी के द्वारा भी वाद वापसी के संबंध में किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी है।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजे तथा अभिलेख जिला, अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
08/10/22

उपायुक्त,  
लातेहार।

  
08/10/22

उपायुक्त,  
लातेहार।